राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर **W.R.**

अपील / टी.ए. / 2004 / 3819 / सीकर

छीतरमल पुत्र श्री भारमल, जाति नाई, निवासी ग्राम दूधवा,
तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।

.....**अपीलान्ट**

बनाम

1– डगल्या उर्फ परमेश्वर उर्फ मूलचन्द उर्फ सांवरमल पुत्र भगवान सहाय निवासी ग्राम पीथलपुर, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर।
2– लालचन्द जायन्दा पुत्र भारमल दत्तक पुत्र परमेश्वर, निवासी ग्राम दूधवा, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ।

.....**रेस्पोन्डेन्टस**

खण्ड–पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री अशोकनाथ योगी, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री दुनीचन्द, अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्टस

निर्णय **दिनांक : 17–10–2019**

1– यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–225 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–7–2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी / अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा–88, 89 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं विभाजन का विरूद्ध प्रतिवादीगण /

रेस्पोन्डेन्टस विद्वान सहायक कलेक्टर, सीकर के न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम दूधवा, तहसील दांतारामगढ में स्थित आराजी खसरा नम्बर–176 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर–402 रकबा 4.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–403 रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–404 रकबा 0.95 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 6.29 हैक्टेयर के मूल खातेदार चन्द्रा उर्फ चतरा थे जिनके दो पुत्र मांग्या व भारमल हुये। मांग्या के मदन, मदन के परमेश्वर हुये। इसी तरह भारमल के छीतर व लालचन्द हुये। तदुपरान्त परमेश्वर का देहान्त हो गया। अर्थात मूल खातेदार चन्द्रा उर्फ चतरा के वंश परिवार में मात्र वादी एवं प्रतिवादी शेष रहे एवं दोनों ही शामलाती तौर पर अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते रहे। आगे कथन किया गया कि मूल खातेदार के देहान्त उपरान्त पाटवी पुत्र कर्ता खानदान मांग्या का नाम रिकार्ड में अंकित हो गया। चूंकि खाते में अकेले मांग्या का नाम होने से विरासतन खाता मदन एवं उसके बाद परमेश्वर का नाम आ गया। चूंकि परमेश्वर का काफी समय पूर्व देहान्त हो जाने के बाद भी खाता मृतक के नाम ही चला आ रहा है। विद्वान सहायक कलेक्टर, सीकर ने वाद दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया, जिस पर प्रतिवादी–रेस्पोन्डेन्ट लालचन्द ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया। जिसमें अंकित किया कि वादग्रस्त आराजीयात पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति है। उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से पर वह काबिज है एवं 1/2 हिस्से पर वादी काबिज है। इसलिये 1/2 हिस्से की भूमि के लिये वादी को खातेदार घोषित करने में अपना एतराज नहीं होना वर्णित किया तथा कथन किया कि खातेदारी अलग अलग दर्ज की जावे। तत्पश्चात विद्वान सहायक कलेक्टर (द्वितीय), सीकर ने पक्षकारान को सुनकर उनके द्वारा प्रस्तुत अभिवचन, शहादत एवं राजीनामे का गहनता से अवलोकन करने एवं वादग्रस्त भूमि को पक्षकारान की पैतृक भूमि साबित होने एवं उक्त पैतृक भूमि के मात्र दो ही वारिस होने और विरासतन प्राप्त करने के अधिकारी होने के कारण अपने निर्णय दिनांक 12–6–2000 के द्वारा वादी / अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री कर दिया। विद्वान सहायक कलेक्टर (द्वितीय), सीकर के उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–6–2000 के विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 ने उसी न्यायालय के समक्ष एक नजरसानी याचिका प्रस्तुत की जिसमें कथन किया कि परमेश्वर को सुना नहीं गया। इस आधार पर विद्वान सहायक कलेक्टर (द्वितीय), सीकर ने दिनांक 6–10–2001 को नजरसानी स्वीकार कर दिनांक 12–6–2000 की डिक्री को निरस्त कर दिया। नजरसानी के निर्णय दिनांक 6–10–2001 के विरूद्ध अपीलान्ट ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के यहां अपील प्रस्तुत की। जिसे अपने निर्णय दिनांक 5–3–2003 के द्वारा स्वीकार कर विद्वान सहायक कलेक्टर (द्वितीय), सीकर

के निर्णय दिनांक 6–10–2001 को निरस्त कर दिया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 ने विद्वान सहायक कलेक्टर (द्वितीय), सीकर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12–6–2000 के विरूद्ध 3 वर्ष बाद मियाद बाहर एक अपील मय धारा–5 मियाद अधिनियम एवं धारा–96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने अवैधानिक रूप से अपने निर्णय दिनांक 16–7–2004 के द्वारा स्वीकार कर दिनांक 12–6–2000 की डिक्री को निरस्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। आदेश दिनांक 16–7–2004 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने अपनी अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर का आदेश न्याय, नियम एवं कार्यवाही मिसल के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी कथन है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 जिसने कि प्रथम अपील प्रस्तुत की थी, वह परीक्षण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं था। अधीनस्थ अपील न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों को पूर्णतया दरकिनार करते हुये जो निर्णय पारित किया है वह अविधिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 5–3–2003 के द्वारा जब विद्वान सहायक कलेक्टर (द्वितीय), सीकर का निर्णय दिनांक 12–6–2000 बहाल हो गया था। अपने ही निर्णय दिनांक 5–3–2003 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने निर्णय दिनांक 16–7–2004 पारित किया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के बिल्कुल विपरीत है। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तीन वर्ष मियाद बाहर अपील को अन्दर मियाद शुमार करते हुये जो निर्णय पारित किया है, वह अवधिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ अपील न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज कर दिया कि उनके समक्ष परीक्षण न्यायालय के यहां पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत अभिवचन, राजीनामा, दस्तावेजी एवं मौखिक शहादत के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री की अपील विचाराधीन थी जिसमें उन्हें पक्षकारान के अभिवचनों के दायरे में रहकर निर्णय पारित करना चाहिये था, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं कर अभिवचनों के बाहर जाकर उठाये गये बिन्दुओं का बिना समग्र विश्लेषण किये सरसरी तौर पर अंकित कर उक्त को आधार बनाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित करने में घोर त्रुटि की है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा

पारित निर्णय दिनांक 16–7–2004 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को में उन्होंने निम्न नजीरें प्रस्तुत की है :–

1– आरआरडी–1989 पेज–292

2– आरआरडी–1990 पेज–669

3– आरबीजे–2002 पेज–163

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टस संख्या–1 ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर का निर्णय विधिसम्मत है। अप्रार्थी संख्या–1 डगल्या उर्फ परमेश्वर के जीवित रहते अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 ने साज–बाज कर विचारण न्यायालय से अपने पक्ष में डिक्री पारित करवा ली जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने उचित रूप से निरस्त कर प्रकरण उभयपक्षों की सुनवाई कर और पूर्ण जांच कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है। अपीलान्ट ने अपील में जो आधार प्रकट किये हैं वे सारहीन है इसलिये अपील खारिज की जाये तथा अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने जो नजीरें पेश की है वे उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है इसलिये उनका कोई महत्व नहीं है।

6– हमने उभयपक्ष पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत की गयी नजीरों का आदर पूर्वक परिशीलन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ई.एक्स–5 जमाबन्दी संवत 2051 में आरजी खसरा नम्बर–402, 403 व 404 किता 3 रकबा 6.29 हैक्टेयर पर परमेश्वर पुत्र मदनलाल नाई साकिन देह दर्ज है। ई.एक्स–3 जमाबन्दी संवत 2027–30 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर–176 रकबा 25 बीघा 13 बिस्वा पर मांग्या पुत्र छीतर कौम नाई साकिन देह दर्ज है और इसी जमाबन्दी में लाल स्याही से नामान्तरकरण संख्या–77 के जरिये मांग्या के बजाय परमेश्वर पुत्र मदनलाल नाई का नाम स्वीकार हुआ अंकित है। ई.एक्स–4 जमाबन्दी संवत 2035–2038 में भी उक्त अंकन है। आराजी खसरा नम्बर–176 से हाल आराजी खसरा नम्बर–402, 403 व 404 बने हैं। राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राजात के आधार पर यह सिद्ध होता है कि विवादित भूमि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 की पैतृक भूमि थी जो कि विरासत से परमेश्वर के नाम दर्ज हो गयी। यह स्वीकृत तथ्य है कि परमेश्वर लाऔलाद फौत हो गया इसलिये उक्त आराजी भारमल के दोनों पुत्रों छीतरमल व

लालचन्द (जो कि परमेश्वर के गोद चला गया) के खाते में आनी चाहिये। विचारण न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर और राजीनामे के आधार पर उक्त वाद डिक्री कर दिया जिसकी प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 के द्वारा की गयी।

8– रेस्पोडेन्ट संख्या–1 डगल्या उर्फ परमेश्वर उर्फ मूलचन्द उर्फ सांवरमल पुत्र भगवान सहाय सैनी का यह कथन है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 ने मिलकर परमेश्वर को मृतक बताकर दावा डिक्री करवा लिया, किन्तु परमेश्वर जीवित है जो कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 है। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने प्रथम अपील स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि पूर्व वाद जो आदेश 9 नियम 9 सीपीसी में खारिज हो गया था इस कारण दूसरा दावा नहीं लाया जा सकता। अप्रार्थी संख्या–2 के परमेश्वर को गोद लाने के तथ्य और उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया।

9– यहां उल्लेख करना समीचीन होगा कि अदम हाजरी व अदम पैरवी में वाद खारिज होने व बंटवारा का वाद होने के कारण पुनः वाद प्रस्तुत करने पर कोई रोक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर निर्णय कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में त्रुटि की है। आरआरडी–1982 पेज–622 में राजस्व मण्डल ने यह अभिमत प्रकट किया जो कि इस प्रकरण पर पूरी तरह चस्पा होता है। चूकि डगल्या उर्फ परमेश्वर उर्फ मूलचन्द उर्फ सांवरमल इस प्रकरण में कोई हित नहीं रखता है और विवादित भूमि से उसका कोई संबंध नहीं है बल्कि फर्जकारी से वह परमेश्वर बनकर प्रथम अपील करता है इसलिये उसकी बात पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मत आरआरडी 1989 पेज–292, आरआरडी 1980 पेज–689 और आरबीजे 2002(9) पेज–163 में राजस्व मण्डल ने प्रकट किया है। विद्वान सहायक कलेक्टर (द्वितीय), सीकर द्वारा नजरसानी में किये गये निर्णय दिनांक 6–10.–2001 के विरूद्ध भी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने खारिज कर दी थी। इस प्रकार राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने रेस्पोन्डेन्ट को सुनकर ही उक्त आदेश पारित किया था। अतः राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर अपने पूर्व आदेश के विरूद्ध कैसे निर्णय प्रदान कर सकते हैं?

10— प्रकरण में विवाद का विषय यह है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 डगल्या उर्फ परमेश्वर उर्फ मूलचन्द उर्फ सांवरमल पुत्र भगवान सहाय जीवित है अथवा कोई अन्य व्यक्ति परमेश्वर बनकर इस प्रकरण में पक्षकार बन गया है। इस संबंध में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नम्बर–2 सीकर का निर्णय दिनांक 20–12–2000 का अवलोकन करना अति आवश्यक है। उक्त प्रकरण छीतरमल एवं लालचन्द ने रामलाल नत्थूराम, हनुमान, सांवरमल पुत्र भगवान सहाय जाति नाई (जो कि इस अपील में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 पर अंकित है) तथा परमेश्वर पुत्र मदनलाल के विरूद्ध अवैध विक्रय पत्र दिनांक 27–3–1998 को शून्य घोषित कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने हेतु प्रस्तुत किया था। उक्त निर्णय में तनकी संख्या–1 में अपर जिला न्यायाधीश नम्बर–2 सीकर ने लिखा है कि :–

> **''मेरी राय में यह विक्रय पत्र वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध, अवैध व निरस्तनीय है। क्योंकि वादीगण परमेश्वर के खानदानी है और उत्तराधिकारी है। वे मदन के चचरे भाई है और उसके वंशज है। यद्यपि वादी ने लालचन्द को परमेश्वर के गोद जाना लिखा है लेकिन यह तथ्य सिद्ध नहीं हो सका है लेकिन यदि लालचन्द को परमेश्वर का दत्तक पुत्र भी नहीं माना जाये तो भी दोनों वादीगण, परमेश्वर, मदन व मांग्या के वंशज है। जैसा कि दोनों पक्षकारों के साक्षियों ने स्वीकार किया है कि मांग्या और भारमल दोनों भाई थे और चन्द्रा के पुत्र थे। वादीगण भारमल के पुत्र है और परमेश्वर मदन का पुत्र था। इस प्रकार वादीगण निश्चित रूप से मृतक परमेश्वर के खानदान में से उसके सहोदर और वंशज है और निश्चित रूप से वे उसके उत्तराधिकारी हैं और उनके मुकाबले जो यह फर्जी विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या–4 सांवरमल पुत्र भगवान सहाय निवासी पिथलपुरा ने जो रामलाल के पक्ष में तस्दीक कराया है वह विधि विरूद्ध है, क्योंकि सांवरमल को विवादित भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। उसने अपने आपको परमेश्वर के रूप में प्रतिरूपित करते हुये फर्जी तरीके से परमेश्वर बनकर यह विक्रय पत्र दिनांक 27–3–1998 को पंजीबद्ध कराया है जो वादीगण के मुकाबले विधि विरूद्ध है, अवैध है और फर्जी है। अतः तनकी नम्बर–1 बहक वादीगण तय किये जाने योग्य है।''**

11— इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सांवरमल पुत्र भगवान सहाय परमेश्वर बनकर प्रकरण में पक्षकार बना जिसका विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है। लालचन्द, परमेश्वर के गोद गया अथवा नहीं गया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लालचन्द एवं छीतरमल दोनों भाई हैं और इनके पूर्वज चन्द्रा उर्फ चतरा के वारिस है। दोनों पक्षकार लालचन्द एवं छीतरमल ने राजीनामा कर लिया है तो उसके बाद इसकी कोई गुन्जाईश नहीं है कि उक्त तथ्य की जांच की जाये। विचारण न्यायालय ने

डिक्री दोनों पक्षों को सुनकर राजीनामा के आधार पर ही पारित की है जो विधिसम्मत है। राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर का निर्णय विधि के विरूद्ध और तथ्यों के विपरीत है ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है और विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–7–2004 निरस्त किया जाता है तथा सहायक कलेक्टर (द्वितीय), सीकर का निर्णय दिनांक 12–6–2000 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष